

3258
04/11/09

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ ।

पत्रांक-2504रोडी / 09-73रोडी / विविध / 04

दिनांक 21-10-09

कार्यालय आदेश

पूर्व में अनुशासनिक कार्यवाही उपरान्त सेवा से पृथक किये गये चालको/परिचालको को अपील में बहाल किये जाने की स्थिति में उनके मूल क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में तैनात किया जाता था, जिसमें इस कार्यालय के आदेश सं०-515रोडी/08 दिनांक 27.3.2008 द्वारा संशोधन करते हुए ऐसे सेवा से पृथक कामिको को उनके मूल क्षेत्र में तैनात किया जाने लगा है। क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक में प्राप्ता संरतुति के अनुसार पूर्व आदेश की भाँति चर्तुथ श्रेणी कामिको के अतिरिक्त अन्य समस्त कर्मचारियों को अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्गत सेवा से पृथक किये जाने एवं अपील में बहाल किये जाने की स्थिति में उन्हें उनके मूल क्षेत्र में न तैनात कर अन्य पडोसी क्षेत्र में तैनात किया जायेगा।

अपीलेट अधिकारकी द्वारा ऐसे सेवा में बहाली आदेश की प्रति विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक अनुभाग निगम मुख्यालय, लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी। प्रधान प्रबन्धक(अनु०) निगम मुख्यालय, लखनऊ द्वारा अगले एक सप्ताह के अन्दर ऐसे बहाल हुए कर्मचारी को उसके मूल क्षेत्र के पडोसी क्षेत्र में तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा। बहाली आदेश एवं तैनाती की प्रति बहाल हुये कर्मचारी को अपीलेट एवं प्रधान प्रबन्धक (अनु०) द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सीधे उनके घर के पते पर भेजी जायेगी साथ ही आदेश की एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के माध्यम से कर्मचारी को प्राप्त कराने हेतु पृष्ठांकित की जाये।

4362017
29/10/09

S. M.
Kim
29/10/09

l
(शशि शंखर सिंह)
अपर प्रबन्ध निदेशक एवं
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-

- 1- समस्त प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ ।
- 2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम।
- 3- समस्त सेवा प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम।
- 4- समस्त अनुभाग अधिकारी निगम, मुख्यालय।

S. M.

l
(शशि शंखर सिंह)
अपर प्रबन्ध निदेशक एवं
प्रबन्ध निदेशक

Kim
29/10/09